

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 19-11-2025

विषय सूची

- » प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने के लिए 10 वर्ष के राष्ट्रीय संकल्प का आग्रह
- » AMR 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई
- » क्वाइट-कॉलर आतंकवाद
- » NFSA सूची से अपात्र लाभार्थियों को हटाना
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति देने से रोकने वाला आदेश वापस

संक्षिप्त समाचार

- » संशोधित उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना
- » अर्थ सिस्टम साइंसेज काउंसिल
- » 'युवा एआई फॉर ऑल' ('YUVA AI for ALL')
- » हनोई कन्वेंशन
- » पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FRA अधिनियम)
- » भारत की डुगोंग (सी काउ) संकटग्रस्त हैं
- » जिन्कगो-दांतेदार चोंच वाली हेल
- » लीडआईटी (LeadIT)

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता को त्यागने के लिए 10 वर्ष के राष्ट्रीय संकल्प का आग्रह

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “मैकॉले मानसिकता” को त्यागने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का आह्वान किया और 1835 की शिक्षा सुधार के औपनिवेशिक प्रभाव को परिवर्तित करने के लिए 10 वर्षीय मिशन की शुरुआत की।

परिचय

- प्रत्येक देश अपने ऐतिहासिक धरोहर पर गर्व करता है, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विरासत से दूरी बनाने के प्रयास देखे।
- प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने पश्चिमी विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी भाषाओं में जड़ें बनाए रखीं। यही संतुलन भारत की नई शिक्षा नीति भी प्रोत्साहित करती है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैकॉले द्वारा लाए गए बुराइयों और सामाजिक विकृतियों को आने वाले दशक में समाप्त करना होगा।

“औपनिवेशिक मानसिकता” क्या है?

- ब्रिटिश शासन के सामूहिक प्रभाव ने एक मानसिकता बनाई, जो इस प्रकार थी:
 - पश्चिमी मानदंडों, शासन, ज्ञान और जीवनशैली की प्रशंसा;
 - भारतीय संस्कृति, भाषा, वैज्ञानिक परंपराओं का अवमूल्यन;
 - बाहरी मान्यता पर निर्भरता;
 - नस्लीय और सांस्कृतिक हीनता का आंतरिककरण।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता-पूर्व भारत में शिक्षा धार्मिक और जातिगत विभाजन पर आधारित थी, गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत।
 - गुरुकुल प्रणाली पारंपरिक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देती थी।
 - महिलाओं, निचली जातियों और अन्य वंचित वर्गों को अक्सर शिक्षा से वंचित रखा जाता था।

- प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी न्यूनतम रूप से ली।
 - हालाँकि, वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स और जोनाथन डंकन जैसे अधिकारियों को भारत की प्राचीन एवं मध्यकालीन ज्ञान प्रणालियों में गहरी रुचि थी।
 - उनकी पहल से प्रारंभिक ओरिएंटल संस्थान स्थापित हुए—विशेष रूप से कलकत्ता मदरसा (1781), एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता (1784), और बनारस संस्कृत कॉलेज (1791)। ये व्यक्तिगत विद्वतापूर्ण प्रयास थे, कंपनी की औपचारिक शिक्षा नीति नहीं।

डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थोरी

- थॉमस बैबिंगटन मैकॉले (1800–1859) ब्रिटिश इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और भारत में गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्य थे।
- मैकॉले का “भारतीय शिक्षा पर मिनट” (1835): उन्होंने ऐसे भारतीयों का समूह बनाने का समर्थन किया जो ब्रिटिश हितों की सेवा कर सके।
 - यह समूह रक्त एवं रंग से भारतीय होगा, लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेजी होगा।
 - इस समूह में प्रवेश केवल कुछ भारतीयों तक सीमित होगा, जो बाद में बाकी जनता को मैकॉले की विवादास्पद “डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थोरी” के अनुसार शिक्षित करेंगे।
- प्रत्यक्ष क्राउन शासन के पश्चात: 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से शासन अपने हाथ में लिया, वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत की शिक्षा नीति का आकलन किया।
- उन्होंने पाया कि ब्रिटिश कुछ सौ बाबुओं को भारी व्यय पर शिक्षित कर रहे थे, जो आगे ज्ञान को जनता तक नहीं पहुँचा रहे थे।
- वायसराय लॉर्ड मेयो ने 1854 के “वुड्रस डिस्पैच” की सिफारिशों को प्राथमिकता दी, जिसमें अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं दोनों में शिक्षा फैलाने की बात कही गई थी।

कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत में औपनिवेशिक मानसिकता बनाई?

- अंग्रेजी शिक्षा का थोपना:** शिक्षा ने पश्चिमी विज्ञान और मानविकी को बढ़ावा दिया, जबकि भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भाषाओं एवं दर्शन को अवैध ठहराया।
 - एक अभिजात वर्ग तैयार हुआ जिसने ब्रिटिश संस्कृति को श्रेष्ठ और भारतीय परंपराओं को “पिछड़ा” माना।
- भारतीय संस्थानों और परंपराओं का कमज़ोर करना:** प्राचीन भारतीय शासन, न्यायशास्त्र, ग्राम स्वशासन और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा प्रणालियों को अवैज्ञानिक या अंधविश्वासी बताया गया।
- नस्लीय पदानुक्रम और सामाजिक प्रशिक्षण:** ब्रिटिशों ने “श्वेत व्यक्ति का भार” विचार फैलाया, स्वयं को नस्लीय रूप से श्रेष्ठ और भारतीयों को आत्म-शासन में अक्षम बताया।
 - क्लबों, रेल डिब्बों और आवासीय क्षेत्रों में अलगाव ने नस्लीय श्रेष्ठता को सुदृढ़ किया।
- पश्चिमीकरण शहरी संस्कृति:** शहरी भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा, पहनावा, शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार को आधुनिकता एवं प्रतिष्ठा से जोड़ना शुरू किया।
 - रोजगारों, न्यायालयों और उच्च शिक्षा तक पहुँच अंग्रेजी साक्षरता से जुड़ी, जिससे स्थानीय संस्कृतियाँ हाशिए पर चली गईं।
- आर्थिक नीतियाँ और मानसिक निर्भरता:** औद्योगिक पतन और धन की निकासी ने भारत को गरीब बना दिया, जिससे ब्रिटिश तकनीक, पूँजी एवं संस्थाएँ अपरिहार्य लगने लगीं।
 - भारतीयों ने आर्थिक प्रगति को केवल पश्चिमी मॉडल से जोड़ना शुरू किया, जिससे स्वदेशी उद्यमिता कमज़ोर हुई।

भारत सरकार की पहलें

- औपनिवेशिक कानून और आपराधिक न्याय प्रणाली का सुधार:** भारतीय दंड संहिता को “भारतीय न्याय संहिता (BNS)”, दंड प्रक्रिया संहिता को “भारतीय

- नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)” और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को “भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)” से बदला गया। उद्देश्य है औपनिवेशिक “शासक की पुलिसिंग” से नागरिक-केंद्रित न्याय की ओर बढ़ना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:** यह मैकॉले की रटने वाली शिक्षा पद्धति से दूर जाती है।
 - भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS), शास्त्रीय भाषाओं और आलोचनात्मक सोच पर बल देती है।
 - मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने को प्रोत्साहित करती है।
- नया पाठ्यक्रम ढाँचा (2023):** इसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति, गणित और विज्ञान को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस:** संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में सर्वसम्मति से 21 जून को “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस” मनाने का प्रस्ताव पारित किया।
- वैश्विक मान्यता:** आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के जामनगर में विश्व का पहला और एकमात्र “वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (WHO GTMC)” स्थापित किया।
- क्षेत्रीय भाषाओं का प्रोत्साहन:** संसद, न्यायपालिका और सरकारी प्रशासन में भारतीय भाषाओं का अधिक उपयोग।
- मिशन कर्मयोगी (2020):** नौकरशाही को औपनिवेशिक आदेश-नियंत्रण संस्कृति से नागरिक-केंद्रित सेवा उन्मुखता की ओर ले जाना।

Source: IE

AMR 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई

संदर्भ

- हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने “राष्ट्रीय कार्य योजना – एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टरेस (NAP-AMR)” का दूसरा संस्करण (2025–29) लॉन्च किया।

NAP-AMR 2.0 (2025–29) के बारे में

- यह NAP-AMR 1.0 (2017–2021) की कमियों को दूर करता है, जिसमें निगरानी को बेहतर करना, जन-जागरूकता बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, और नियामक व प्रयोगशाला क्षमता में सुधार शामिल है।
- यह एक सशक्त ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रणालियाँ और पर्यावरण के बीच समन्वय शामिल है।
- इसमें 20 से अधिक मंत्रालय शामिल हैं, जिनके लिए स्पष्ट समय-सीमा और समर्पित बजट तय किए गए हैं।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) क्या है?

- एंटीमाइक्रोबियल्स (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स, एंटिफंगल्स और एंटिपैरासिटिक्स) का उपयोग मनुष्यों, पशुओं और पौधों में संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है।
- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) तब होता है जब रोगजनक एंटीमाइक्रोबियल्स पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और रोग फैलने, बीमारी, विकलांगता एवं मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।
- यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे मनुष्यों, पशुओं और पौधों में एंटीमाइक्रोबियल्स के दुरुपयोग एवं अतिउपयोग से तेज किया जाता है।

AMR का भार

- वैश्विक स्तर पर, AMR ने 2019 में 4.95 मिलियन मृत्युओं में योगदान दिया और 2050 तक यह 10 मिलियन मृत्युओं तक पहुँचने की संभावना है।
- भारत में, 2019 में AMR के कारण 2,97,000 मृत्यु हुईं और 2050 तक यह संख्या 2 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- लैंसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 80% से अधिक भारतीय मरीज बहु-अौषधि प्रतिरोधी जीवाणु (MDROs) वहन करते हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है।

AMR से जुड़ी चुनौतियाँ

- मनुष्यों, पशुधन, पोल्ट्री और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक दुरुपयोग।
- नियमों के बावजूद एंटीबायोटिक्स की आसान “ओवर द काउंटर (OTC)” उपलब्धता।
- कई राज्यों में सूक्ष्मजीव परीक्षण और निगरानी के लिए कमज़ोर प्रयोगशाला नेटवर्क।
- छोटे अस्पतालों में कम प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट और एंटीमाइक्रोबियल स्टेवार्डशिप का खराब कार्यान्वयन।
- औषधि अपशिष्ट और अस्पताल के अपशिष्ट से एंटीमाइक्रोबियल अवशेषों के कारण पर्यावरण प्रदूषण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित जन-जागरूकता।
- “वन हेल्थ” ढाँचे के बावजूद मंत्रालयों के बीच बिखरा हुआ समन्वय।

संबंधित प्रयास और कदम

- 2010:** AMR नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन।
- 2011:** AMR नियंत्रण पर राष्ट्रीय नीति जारी।
- 2017:** AMR पर पहली राष्ट्रीय कार्य योजना (2017–21) लॉन्च की गई, जो WHO की “ग्लोबल एक्शन प्लान (GAP)” से जुड़ी थी।
- रेड लाइन अभियान:** केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली एंटीबायोटिक्स पर लाल रेखा लगाई गई ताकि दुरुपयोग रोका जा सके।
- ICMR पहलें:** अस्पतालों में एंटीबायोटिक स्टेवार्डशिप कार्यक्रम (ASPs) को बढ़ावा देना।

Source: PIB

व्हाइट-कॉलर आतंकवाद

समाचार में

- “व्हाइट-कॉलर आतंकवाद” शब्द ने हाल ही में मुख्यधारा मीडिया और जन विमर्श में अचानक लोकप्रियता प्राप्त की है, दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद जिसमें जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कट्टरपंथी डॉक्टर शामिल थे।

व्हाइट-कॉलर आतंकवाद क्या है?

- व्हाइट-कॉलर आतंकवाद उन आतंकवादी गतिविधियों को संदर्भित करता है जिन्हें अत्यधिक शिक्षित पेशेवरों — जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईटी विशेषज्ञ — द्वारा अंजाम दिया जाता है, जो अपनी विशेषज्ञता, सामाजिक नेटवर्क और समाज में विश्वसनीय पदों का उपयोग करके आतंकवादी योजनाओं, समर्थन और क्रियान्वयन को संचालित करते हैं।
- पारंपरिक आतंकवादियों के विपरीत, ये व्यक्ति पेशेवर या शैक्षणिक वातावरण में गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स, सामग्री की खरीद, कट्टरपंथीकरण, भर्ती और यहाँ तक कि संचालनात्मक क्रियान्वयन भी कम संदेह के साथ संभव हो जाता है।

व्हाइट-कॉलर आतंकवाद के बढ़ने के कारण

- पेशेवरों का वैचारिक कट्टरपंथीकरण: शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को आतंकवादी समूह वैचारिक कथाओं के माध्यम से निशाना बना रहे हैं, प्रायः ऑनलाइन इको-चैम्बर्स और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए।
- आतंकी नेटवर्क का रणनीतिक बदलाव: आतंकवादी संगठन जानबूझकर व्हाइट-कॉलर पेशेवरों की भर्ती कर रहे हैं ताकि वे विशेष कौशल, संवेदनशील संसाधनों (प्रयोगशालाएँ, वित्त, सूचना) और व्यापक सामाजिक नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
- सामाजिक और धार्मिक शिकायतें: शिक्षित व्यक्ति जो सामाजिक या धार्मिक अलगाव, अपमान या कथित अन्याय महसूस करते हैं, उन्हें उग्रवादी विचारधाराएँ आसानी से प्रभावित कर सकती हैं।
- कमजोर संस्थागत सतर्कता: शैक्षणिक केंद्रों, अस्पतालों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में पारंपरिक रूप से विनाशक गतिविधियों पर कम निगरानी होती है, जिससे व्हाइट-कॉलर आतंकवादियों को आसान संचालनात्मक वातावरण मिलता है।
- तकनीकी परिष्कार: साइबर फॉरेंसिक और खुफिया एजेंसियों को तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्यशील बनाने में कठिनाई होती है।

भारत की आतंकवाद-रोधी रणनीति

- विशेषीकृत एजेंसियाँ:** राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), अनुसंधान एवं विश्लेषण बिंग (RAW), और एंटी-टेररिज्म स्क्वाड्स (ATS) जैसी विशिष्ट इकाइयों का गठन।
- कानूनी ढाँचे:** आतंकवाद-रोधी कानूनों का अधिनियमन और समय-समय पर सुदृढ़ीकरण, विशेष रूप से “गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम (UAPA)”, जिससे एजेंसियों को निवारक हिरासत, जांच एवं अभियोजन की शक्तियाँ मिलती हैं।
- संस्थागत ऑडिट और क्षमता निर्माण:** अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और आईटी पार्कों में सुरक्षा ऑडिट; कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों और कट्टरपंथीकरण संकेतकों की पहचान के लिए प्रशिक्षित करना।
- साइबर निगरानी और तकनीकी उन्नयन:** उन्नत साइबर फॉरेंसिक, एआई-आधारित खतरा पहचान और एन्क्रिप्टेड एप्स व वित्तीय लेन-देन की निगरानी में निवेश।
- सामुदायिक भागीदारी और प्रतिकट्टरपंथीकरण:** परामर्श, जागरूकता कार्यक्रम और नागरिक समाज के साथ साझेदारी के माध्यम से कट्टरपंथीकरण विरोधी पहल।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सीमा-पार तत्वों और जटिल वित्तीय चैनलों का सामान करने के लिए वैश्विक साझेदारों के साथ खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को सामना करना।
- प्रतिकारात्मक प्रतिक्रियाएँ:** जैसे सर्जिकल स्ट्राइक (2016) और ऑपरेशन सिंदूर (2025)।

Source :FP

NFSA सूची से अपात्र लाभार्थियों को हटाना

संदर्भ

- विगत चार से पाँच महीनों में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत मुफ्त मासिक राशन योजना से लगभग 2.25 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का अवलोकन

- यह कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित ढाँचे की ओर परिवर्तन को दर्शाता है, क्योंकि भोजन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में निहित है।
- इसका उद्देश्य भारत की बड़ी जनसंख्या को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 2011 की जनगणना के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ लोग शामिल हैं। इसमें शामिल हैं:
 - ग्रामीण जनसंख्या का 75% तक;
 - शहरी जनसंख्या का 50% तक।
- लाभार्थियों की श्रेणियाँ: अधिनियम लाभार्थियों को दो मुख्य समूहों में बाँटता है:
 - अंत्योदय अन्न योजना (AY) परिवार: प्रति माह 35 किलो खाद्यान्न पाने के हकदार।
 - प्राथमिकता परिवार (PHH) व्यक्ति: प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न पाने के हकदार।
- वर्तमान में गरीब परिवारों को इन श्रेणियों के अंतर्गत प्रत्येक महीने मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ और चावल) वितरित किया जाता है।

वितरण का पैमाना

- भारत में वर्तमान में 19 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारक हैं और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 5 लाख उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं।
- यह विशाल नेटवर्क प्रत्येक महीने लाखों नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के वर्तमान ढाँचे का उपयोग करता है और मध्याह्न भोजन योजना तथा एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) जैसी योजनाओं को भी जोड़ता है।

केवल 'वास्तविक' लाभार्थियों को लक्षित करना

- सरकार का उद्देश्य NFSA को अधिक केंद्रित और पारदर्शी बनाना है, ताकि केवल वास्तविक लाभार्थी—जो वास्तव में सहायता के पात्र हैं—को ही लाभ मिले।
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके अपात्र व्यक्तियों की पहचान की और सत्यापन व विलोपन के लिए सूचियाँ राज्य सरकारों को साझा कीं।
- अपात्र नामों की पहचान और हटाने के लिए डेटा त्रिकोणीयकरण एवं आधार-आधारित सत्यापन का उपयोग किया गया।
- हटाने के प्रमुख कारणों में शामिल थे:
 - चार पहिया वाहन का स्वामित्व;
 - पात्रता सीमा से अधिक आय;
 - कंपनी निदेशक पद;
 - मृत लाभार्थियों का अभी भी सूची में होना।

निरंतर सत्यापन और अद्यतन

- लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड जारी करना और नियमित अद्यतन करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।
- अपात्र लाभार्थियों को हटाना और नए पात्रों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है।
- जुलाई 2025 तक केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 80.56 करोड़ की पहचान हुई है—जिससे 0.79 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़े जाने की संभावना बनी हुई है।

वृहत्तर प्रभाव

- राजकोषीय रिसाव को कम करना और सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण;
- अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संसाधन मुक्त करना;
- सरकारी योजनाओं में जनता का विश्वास बढ़ाना।

Source: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति देने से रोकने वाला आदेश वापस

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 16 मई के उस निर्णय को वापस ले लिया है जिसमें एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) पर प्रतिबंध लगाया गया था — अर्थात् पहले परियोजना शुरू करना और बाद में EC लेना अब मान्य नहीं था।

परिचय

- मई के निर्णय में कहा गया था कि किसी भी रूप में अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति देना स्पष्ट रूप से अवैध है।
 - न्यायालय ने केंद्र सरकार की 2017 की अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को रद्द कर दिया था, जो वास्तव में एक्स-पोस्ट फैक्टो EC को मान्यता देता था।
- बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन दांव पर: यदि 16 मई का निर्णय बरकरार रहता तो कई पूर्ण/लगभग पूर्ण इमारतों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण करना पड़ता।
 - लगभग ₹20,000 करोड़ मूल्य की सार्वजनिक परियोजनाओं को स्वीकृति की समीक्षा न होने पर ध्वस्त करना पड़ता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को वापस लेते हुए निर्देश दिया है कि इस मुद्दे को नए सिरे से विचार के लिए उपयुक्त पीठ के सामने रखा जाए।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

- EIA को उस अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव का पूर्वानुमान करता है।
- EIA व्यवस्थित रूप से परियोजना के लाभकारी और प्रतिकूल परिणामों की जाँच करता है तथा सुनिश्चित करता है कि इन प्रभावों को परियोजना डिजाइन के दौरान ध्यान में रखा जाए।

- यह प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय भी सुझाता है।
- महत्व: पर्यावरण की सुरक्षा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और परियोजना के समय व लागत की बचत।
 - यह समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देकर, निर्णयकर्ताओं को सूचित करके और पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ परियोजनाओं की नींव रखने में सहायता करके संघर्षों को भी कम करता है।

भारत में EIA

- 1994: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MEF) ने पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) को अनिवार्य किया।
- EIA 2006 व्यवस्था: यह उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर हरित स्वीकृति देने का शासकीय कानूनी साधन है।
 - इसने खनन, ताप विद्युत संयंत्र, नदी धाटी, बुनियादी ढाँचा और उद्योगों जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया।
 - हालांकि, 1994 की अधिसूचना के विपरीत, नए कानून ने परियोजनाओं के आकार/क्षमता के आधार पर स्वीकृति देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी।

कानूनी और संस्थागत ढाँचा

- EIA अधिसूचनाएँ: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी।
- संस्थागत प्राधिकरण:
 - केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC): श्रेणी A परियोजनाओं (राष्ट्रीय स्तर) के लिए।
 - राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ (SEACs): श्रेणी B परियोजनाओं (राज्य स्तर) के लिए।
 - राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAAs): राज्य स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करती हैं।

परियोजनाओं का वर्गीकरण


- श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएँ जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव होता है (जैसे बड़े बाँध, प्रमुख राजमार्ग)।
- श्रेणी B1: मध्यम आकार की परियोजनाएँ जिनका क्षेत्रीय प्रभाव होता है।
- श्रेणी B2: छोटे पैमाने की परियोजनाएँ जिनका कम प्रभाव होता है।

चिंताएँ

- 2006 की EIA अधिसंचना का एक सकारात्मक पहलू इसकी गतिशीलता है, जिससे समय की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधानों और प्रक्रियाओं में बदलाव संभव है।
 - हालाँकि, इस कानूनी साधन की यही विशेषता शोषित होती प्रतीत होती है।
- केवल 5 वर्षों में 110 से अधिक बदलाव किए गए — जिनमें से अधिकांश बिना सार्वजनिक परामर्श के।

TRACK CHANGE

Number of changes introduced in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, in past five years



Source: CSE analysis

- इस लचीलापन का दुरुपयोग हुआ है और उद्योगों को स्वीकृति मिल जाती है — भले ही वे प्रदूषण फैलाएँ या पर्यावरण को हानि पहुँचाएँ।

EIA प्रक्रिया को सुधारने के सर्वोत्तम उपाय

- हितों के टकराव से बचने के लिए एक स्वतंत्र EIA प्राधिकरण का निर्माण।
- सार्वजनिक परामर्श को सुदृढ़ करना, विशेषकर स्थानीय भाषाओं में।
- वैज्ञानिक और पारदर्शी आधारभूत डेटा सुनिश्चित करना।
- पर्यावरणीय चिंताओं के आधार पर छूट प्राप्त परियोजनाओं की सूची को नियमित रूप से अद्यतन करना।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

संशोधित उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना

समाचार में

- सरकार ने संशोधित उड़ान (UDAN) क्षेत्रीय वायु संपर्क योजना के लिए ₹30,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है, ताकि इसे अप्रैल 2027 के बाद भी जारी रखा जा सके।
 - इसमें से ₹18,000 करोड़ नए हवाई अड्डों के विकास के लिए और ₹12,000 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के लिए निर्धारित किए गए हैं, ताकि कम सेवा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली एयरलाइनों को समर्थन मिल सके।

उड़ान योजना के बारे में

- उड़ान योजना अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड़ान नीति के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी।
 - इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को सुलभ बनाना और क्षेत्रीय वायु संपर्क को बढ़ावा देना था, जिसके लिए एयरलाइनों को दूरस्थ मार्गों पर सेवा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
- इसका लक्ष्य टियर-2 और टियर-3 शहरों को एक बाजार-आधारित लेकिन वित्तीय रूप से समर्थित मॉडल के माध्यम से जोड़ना था।
- प्रथम उड़ान अप्रैल 2017 में शिमला और दिल्ली के बीच शुरू की गई।

प्रगति

- उड़ान ने 915 मार्गों में से 649 को चालू किया है, जिससे 93 हवाई अड्डे, 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम जुड़े हैं।
- इस योजना के अंतर्गत 3.23 लाख से अधिक उड़ानों के माध्यम से 1.56 करोड़ यात्रियों को सेवा दी गई।
- हालाँकि, भूमि, तकनीकी बाधाओं और विमान उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

विस्तार

- विस्तारित ढाँचे का लक्ष्य 120 और गंतव्यों को जोड़ना, आगामी दशक में 4 करोड़ यात्रियों की यात्रा को सक्षम बनाना और पहाड़ी, आकांक्षी तथा पूर्वोत्तर जिलों में पहुँच को बढ़ावा देना है।
- यह निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा, हवाई अड्डा विकास में देरी को दूर करेगा और क्षेत्रीय विमानन को एक बाजार-आधारित बोली मॉडल के माध्यम से सुदृढ़ करेगा।

Source:BL

अर्थ सिस्टम साइंसेज़ काउंसिल

संदर्भ

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 5 संस्थानों को औपचारिक रूप से एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत लाया गया है, पाँच अलग-अलग सोसाइटियों को मिलाकर एक नई इकाई बनाई गई है जिसे “अर्थ सिस्टम साइंसेज़ काउंसिल” (ESSC) कहा जाता है।

परिचय

- उद्देश्य:** शासन को सुव्यवस्थित करना और बदलते जलवायु, अनियमित मानसून तथा पिघलते ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्पन्न वैज्ञानिक एवं मानवीय समस्याओं का सामूहिक रूप से समाधान करना।
- विलय किए गए संस्थान:**
 - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी (IITM), पुणे
 - नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR), गोवा
 - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (NIOT), चेन्नई
 - नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज़ (NCESS), तिरुवनंतपुरम
 - इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज (INCOIS), हैदराबाद
- अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गनाइजेशन में दो अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
- राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMWF)
- ESSC को 2023 में एक निकाय के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत किया गया।
- MoES सचिव ESSC का प्रमुख होगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ESSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- इसका उद्देश्य सरकार के व्यापक दृष्टिकोण “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” को समर्थन देना है।

Source: PIB

युवा एआई फॉर ऑल ('YUVA AI for ALL')

समाचार में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IndiaAI मिशन के अंतर्गत ‘YUVA AI for ALL’ नामक एक अनोखा मुफ्त पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो सभी भारतीयों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की दुनिया से परिचित कराता है।

परिचय

- यह एक छोटा, 4.5 घंटे का स्व-गति (*self-paced*) पाठ्यक्रम है, जिसे छात्रों, पेशेवरों और अन्य जिज्ञासु शिक्षार्थियों को AI की मूलभूत जानकारी से सहज बनाने तथा यह दिखाने के लिए तैयार किया गया है कि यह दुनिया को कैसे बदल रहा है।
- इसका उद्देश्य 1 करोड़ (10 मिलियन) नागरिकों को बुनियादी AI कौशल से सशक्त बनाना है — जिससे डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सके, नैतिक AI अपनाने को बढ़ावा मिले और भारत के कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।

IndiaAI मिशन

- IndiaAI एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य स्वदेशी AI मॉडल विकसित करना, कंप्यूटर अवसंरचना का विस्तार करना, खुले डेटा सेट उपलब्ध कराना, AI स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना और विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेदार AI प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

Source: IE

हनोई कन्वेशन

संदर्भ

- 72 देशों ने हनोई में संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी कन्वेशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटना है।

परिचय

- उद्देश्य:** यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और उन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विधायी ढाँचा प्रस्तावित करता है जिनके पास साइबर अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त अवसंरचना नहीं है।
- प्रथम सार्वभौमिक कन्वेशन:** यह कन्वेशन साइबर अपराध की जाँच और अभियोजन के लिए प्रथम सार्वभौमिक ढाँचा स्थापित करता है।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी:** संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेशन एक शक्तिशाली, कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है।
- स्वीकृति:** इसे पाँच वर्षों की वार्ता के बाद 2024 में महासभा द्वारा अपनाया गया।

- ↪ हस्ताक्षर प्रक्रिया आगामी वर्ष तक खुली रहने की संभावना है।
- मुख्य प्रावधान:** यह निम्न प्रकार के अपराधों को अपराध घोषित करता है:
 - साइबर-निर्भर अपराध:** अनधिकृत पहुँच (हैकिंग), डेटा हस्तक्षेप।
 - साइबर-सक्षम अपराध:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, निजी छवियों का बिना सहमति प्रसार।
 - बाल शोषण:** ऑनलाइन यौन शोषण, शोषण सामग्री का वितरण, प्रलोभन/गूमिंग।
 - ↪ यह सीमाओं के पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने की सुविधा देता है और राज्यों के बीच 24/7 सहयोग नेटवर्क स्थापित करता है।
 - ↪ यह इतिहास रचता है क्योंकि यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसने निजी छवियों के बिना सहमति प्रसार को अपराध के रूप में मान्यता दी है — ऑनलाइन शोषण के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत।

- प्रवर्तन:** यह 40वें राज्य द्वारा अनुमोदन जमा करने के 90 दिन बाद लागू होगा।
- राज्यों की पार्टियों का सम्मेलन:** लागू होने के बाद, राज्यों की पार्टियों का सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किया जाएगा ताकि राज्यों की क्षमता और सहयोग को बेहतर बनाया जा सके।
- सचिवालय:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) एड हॉक समिति और भविष्य के राज्यों की पार्टियों के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

Source: ORF

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FRA अधिनियम)

संदर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पौधा किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम (PPV&FRA Act) में संशोधन करेगी, जिसमें हितधारकों के सुझावों को शामिल किया जाएगा।

परिचय

- एक समिति, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक आर.एस. परोड़ा कर रहे हैं और जिसे पौधा किस्म संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकरण (PPVFRA) ने नियुक्त किया है, ने संशोधनों पर हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है।
- समिति अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करेगी ताकि अंतर्निहित कमियों, वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किसानों के हितों को सुदृढ़ किया जा सके।

पौधा किस्म संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम (PPV&FRA Act), 2001

- उद्देश्य:** पौधा किस्मों के संरक्षण, किसानों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा तथा पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना।

- यह कानून वाणिज्यिक पौध प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है और सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों को समर्थन देने के लिए TRIPs को लागू करने का प्रावधान करता है।

महत्व

- नवाचार और किसानों के पारंपरिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- कृषि-जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- ग्रामीण आजीविका की रक्षा करते हुए बीज उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

संशोधन

- ‘किस्म की आवश्यकता’ की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें ‘जीनोटाइप्स के संयोजन’ को शामिल किया जा सकता है ताकि यह 2019 के ड्राफ्ट सीड़स बिल के अनुरूप हो सके।
- ‘प्रजनक’ की परिभाषा में प्रयुक्त ‘संस्थान’ शब्द को परिभाषित करने का प्रस्ताव है, ताकि इसमें बीज क्षेत्र के सार्वजनिक और निजी दोनों प्रतिष्ठान शामिल हों।
- “दुरुपयोगी कृत्य” को परिभाषित करने पर चर्चा हो रही है, ताकि ऐसे कार्य—जैसे किसी किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन, निर्यात और आयात करना, जिसका नाम किसी अन्य किस्म से समान या एक जैसा हो—को दंडनीय बनाया जा सके।

Source: TH

भारत की डुगोंग (सी काउ) संकटग्रस्त हैं

समाचार में

- अबू धाबी में आयोजित IUCN संरक्षण कांग्रेस में जारी एक हालिया रिपोर्ट ने भारत की डुगोंग जनसंख्या पर बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है।

डुगोंग के बारे में

- डुगोंग (वैज्ञानिक नाम: *Dugong dugon*) समुद्री स्तनधारी हैं जिन्हें प्रायः ‘‘सी काउ’’ कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव धीमा, शांत और शाकाहारी होता है।



- डुगोंग गर्म, उथले तटीय जल में पाए जाते हैं, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैले हैं, जिसमें लाल सागर एवं फारस की खाड़ी भी शामिल हैं।
- डुगोंग को भोजन के लिए स्वस्थ सीग्रास (समुद्री घास) मैदानों की आवश्यकता होती है; ये क्षेत्र इनके प्रजनन और संतानोत्पत्ति के लिए भी महत्वपूर्ण आवास होते हैं।
- इन्हें वैश्विक स्तर पर “असुरक्षित (Vulnerable)” श्रेणी में रखा गया है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित किया गया है।
- भारत में डुगोंग की प्रमुख जनसंख्या कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पालक खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के तटों पर पाई जाती है।
- इनके लिए प्रमुख खतरे हैं: तटीय विकास के कारण आवास का विनाश, मछली पकड़ने के जाल में फँसना, नावों से टकराव, प्रदूषण और कम प्रजनन दर।

भारत में संरक्षण प्रयास

- डुगोंग संरक्षण रिजर्व:** भारत ने तमिलनाडु के पालक खाड़ी में प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है, जिसे IUCN ने वैश्विक समुद्री जैव विविधता संरक्षण मॉडल के रूप में मान्यता दी है।
- राष्ट्रीय डुगोंग पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** तमिलनाडु, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सहयोग से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य आवासों की रक्षा करना और डुगोंग संरक्षण को बढ़ावा देना है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत के प्रयास CITES और प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेशन (CMS) जैसे वैश्विक संरक्षण ढाँचों के अनुरूप हैं।

Source :IE

जिन्कगो-दाँतेदार चोंच वाली व्हेल

समाचार में

- वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रथम बार गिंको-दाँत वाली चोंचदार व्हेल (ginkgo-toothed beaked whales) को मैक्रिस्को के बाजा कैलिफोर्निया तट पर जंगली में देखा है।

गिंको-दाँत वाली चोंचदार व्हेल (Mesoplodon ginkgodens)

- ये 24 प्रजातियों वाली चोंचदार व्हेल में से एक हैं, जो डॉल्फिन के बाद दूसरी सबसे विविध सिटेशियन समूह हैं।
- चोंचदार व्हेल पृथ्वी पर सबसे गहरे गोता लगाने वाले स्तनधारी हैं। वे अपना अधिकांश जीवन महासागरों में बिताती हैं और केवल कुछ मिनटों के लिए वायु लेने सतह पर आती हैं, सामान्यतः तटों से बहुत दूर।
- नर सामान्यतः गहरे नीले-काले रंग के होते हैं जिनके पेट पर सफेद धब्बे और चकते होते हैं, जबकि मादाएँ मध्यम-भूरे रंग की होती हैं जिनके पेट हल्के रंग के होते हैं।
- ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय और गर्म-समशीतोष्ण जल में पाई जाती हैं तथा माना जाता है कि ये मुख्य रूप से गहरे, अपतटीय जल में रहती हैं।
- ये दुर्लभ और कम अध्ययन की गई प्रजाति हैं; इनके बारे में अधिकांश जानकारी दुर्लभ तट पर फँसने (stranding) की घटनाओं से आती है।

- IUCN रेड सूची वर्गीकरण में इन्हें डेटा डेफिशिएंट (Data Deficient) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

Source :IE

लीडआईटी (LeadIT)

समाचार में

- COP30 में बेलौ, ब्राजील में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने LeadIT इंडस्ट्री लीडर्स' राउंडटेबल को संबोधित किया और कम-कार्बन औद्योगिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका को पुनः पुष्टि की।

LeadIT के बारे में

- प्रारंभ:** 2019 में भारत और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्बवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया।
- उद्देश्य:** इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, रसायन और भारी परिवहन जैसी उच्च-उत्सर्जन तथा कठिन-से-नियंत्रित उद्योगों को 2050 तक नेट-जीरो की ओर ले जाने के लिए संक्रमण को तीव्र करना।
 - यह औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन पर विशेष रूप से केंद्रित प्रथम वैश्विक उच्च-स्तरीय पहलों में से एक था।
- LeadIT 2.0 (2024–2026):** COP28 (दुबई) में आयोजित LeadIT शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया। LeadIT 2.0 का उद्देश्य संवाद से क्रियान्वयन की ओर बढ़ना है।

Source: AIR

